

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
31/019	212(2) RTA	नागदा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
घासीलाल कोठ	बनाम	मागीर ख कोठ	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

12/6/19

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 10/7/2019 को पेश हो।

10/7/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7.8.19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

7/8/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2.8.19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

21/8/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/09/19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

23/9/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/10/19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

# कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी, अप्राथी उपस्थित।  
 वदत नही हो सकी है समय — बारी है। वदते वदत  
 पत्रावली दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

19/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी अनुपस्थित। वकील  
 प्राथी को रुक-रुक कर तीन बार आवाज पुकारकी  
 गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदत डागरी  
 अदत परवी खारिज किया जाता है। पत्रावली  
 फेशल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।